प्रपत्र–3

कार्य का नामः–जनपद–देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम–हरिपुर से मुख्य मार्ग जू0हाई0स्कूल की ओर सड़क का निर्माण

(लम्बाई 0.435 किमी0)

भाग –2

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम–हरिपुर से मुख्य मार्ग जू0हाई0स्कूल की ओर सड़क का निर्माण हेतु 0.1134 है0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चकराता वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.1134 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.1134 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि 0.0000 हैक्टर वन पंचायत भूमि 0.0000 हैक्टर सिविल सोयम भूमि **0.1134** हैक्टर कुल वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल शून्य वृक्ष बाधित है जिनमें बांज वृक्षों की संख्या शून्य है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 19 से 20 तक संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	इस बावत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून के भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट की भूगर्भीय आख्या पृष्ठ सं0–34 व 35 तक चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल रीवर रेंज से गुजरता है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के अन्तर्गत कोई कोरीडोर का भाग नही है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /लोक निर्माण विभाग एंव राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र–37 पर प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया गया है।

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 पर चस्पा है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रपत्र–42 पर संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रपत्र–42 पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के प्रपत्र–46 पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियांः–जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसीः–स्वयं वन विभाग समयः–उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 0.76473 लाख का प्राक्कलन प्रपत्र–42 पर संलग्न है तथा रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 3.39520 लाख का प्राक्कलन प्रपत्र–46 पर संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 0.76473 लाख का प्राक्कलन प्रपत्र–42 पर संलग्न है तथा रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 3.39520 लाख का प्राक्कलन प्रपत्र–46 पर संलग्न है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन सरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्क्लन एंव मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन सरंक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एंव प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं0 – ..... पर चस्पा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो कि पृष्ठ सं0.....पर संलग्न है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	च्कराता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	1522.708 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 505 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 21455.47 है0 वन क्षेत्र है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 3339.49 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनेतर भूमि परः–	 (क) 5634.686 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगतिः– (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	(क) 571.671 है0 जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निमार्ण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार संस्तुति की जाती है।

दि० 16-9-2021

स्थान– कालसी

हस्ताक्षर

नाम– (नीतीश मणि त्रिपाठी)

सरकारी प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता